न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 12/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा कार्यालय– मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. मैसर्स तजनान जरिये प्रो. श्री रिजवान खान पुत्र श्री शेर मोहम्मद
पता–बी–19, तलघर, गोस्वामी मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर राज. 302017
2. रिजवान खान पुत्र शेर मोहम्मद
पता–1. बी–55ए, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जगतपुरा, जयपुर राज. 302017
2.खसरा नं. 400 वार्ड नं. 18, देवीपुरा कोठी, फातिमा मस्तिद के पास, सीकर राज.

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः– 15 जुलाई, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री विनोद खाण्डल** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **मैसर्स तजनान एवं रिजवान खान पुत्र शेर मोहम्मद** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **रिजवान खान पुत्र शेर मोहम्मद** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **जी+1, रिहायशी बिल्डिंग के साथ तलघर, खसरा नं. 400 वार्ड नं. 18 देवीपुरा कोठी, फातिमा मस्तिद के पास, सीकर राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 227.67 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में आसिफ का मकान, पश्चिम दिशा में 16 फीट रोड, उत्तर दिशा में अजगर का मकान एवं दक्षिण दिशा में नजमा का मकान है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 19,45,000/– रूपये (अक्षरे रूपये उन्नीस लाख पैंतालीस हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **12.06.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **12.06.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **मैसर्स तजनान एवं श्री रिजवान खान पुत्र श्री शेर मोहम्मद** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष मे अप्रार्थी **रिजवान खान पुत्र श्री शेर गोहम्मद** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **जी+1, रिहायशी बिल्डिंग के साथ तलघर, खसरा नम्बर 400, वार्ड नं. 18 देवीपुरा कोठी, फातिमा मस्तिद के पास, सीकर राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 227.67 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में आसिफ का मकान, पश्चिम दिशा में 16 फीट रोड, उत्तर दिशा में अजगर का मकान एवं दक्षिण दिशा में नजगा का मकान है। उक्त बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक *15* **जुलाई, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
कमर चौधरी
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर